


क्रमांक:-एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर /2021/ 135

दिनांक :- 05/4/2021

### आदेश

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत निम्न सह/सहायक आचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स करने हेतु अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

| क.सं. | नाम<br>(सह/सहायक<br>आचार्य)श्री/सुश्री<br>/ डॉ०/श्रीमती | विषय            | महाविद्यालय<br>का नाम                            | कोर्स का<br>नाम | कोर्स की अवधि         | संस्थान जहां से<br>कोर्स किया जाना है |
|-------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.    | अंशुल दाधिच   | हिन्दी          | राजकीय<br>महाविद्यालय,<br>औसियां, जिला<br>जोधपुर | रिफ्रेशर        | 6.4.21 से 19.4.<br>21 | रामानुजन कॉलेज,<br>दिल्ली             |
| 2.    | नरेन्द्र कुमार<br>परेवा                                 | समाज<br>शास्त्र | राजकीय<br>महाविद्यालय,<br>दौसा                   | रिफ्रेशर        | 6.4.21 से 19.4.<br>21 | रामानुजन कॉलेज,<br>दिल्ली             |

  
(डॉ० सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।


क्रमांक:-एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर /2021/ 135

दिनांक :- 05/04/2021

प्रतिलिपि :-

- सम्बन्धित प्राचार्य निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-  
(अ) प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।  
(ब)संबन्धित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैण्ड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

- वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ० सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त देशक(अकादमिक)